


न्यायालय जिला कलक्टर नागौर  
 न०पा० स्थगन पत्र सं. 76/03  
 लीलाधर vs परसराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
8.8.19	<p>पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर द्वारा मुकदमा नम्बर निगरानी/न.पा. 35/06 परसराम बनाम लीलाधर के क्रम में इस प्रकरण की मूल निगरानी पत्रावली संख्या 80/2003 लीलाधर बनाम परसराम वगैरह में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 09.10.2006 के सन्दर्भ में चाही जाने पर इस न्यायालय के पत्रांक 1341 दिनांक 02.07.2007 से श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, अजमेर को भिजवाई हुई है और यह स्थगन पत्रावली उक्त मूल पत्रावली संख्या 80/2003 के इन्तजार में इस न्यायालय में विचाराधीन है। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.8 (ग)(8)नियम/डी.एल.बी./15/5843-6274 दिनांक 10.06.2016 के अनुसार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2) के अधीन सम्पत्ति के अन्तरण और संविधा से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई का निस्तारण करने हेतु श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, को प्राधिकृत किये जाने से, इस प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, अजमेर को होने से मूल पत्रावली श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय को उपर्युक्तानुसार भिजवाई हुई है। अतः यह स्थगन पत्रावली भी श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर को भिजवाई जावे।</p> <p style="text-align: center;">               (दिनेश कुमार यादव)              जिला कलक्टर, नागौर         </p>	